न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 61 / 2023

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 जा.दी.

निर्णय दिनांक 16/07/24

अतरसिंह वगै0 बनाम सुभाष वगै0

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 जा.दी.व मुकदमे अतरसिंह वगै0 बनाम सुभाष वगै0

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 जाब्ता दीवानी के तहत प्रतिवादी प्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 सुभाष पुत्र रामदयाल, रामअवतार पुत्र रामगोपाल जाति जाट निवासी करीली द्वारा पेश कियां जो कि संक्षिप्त में इस प्रकार है–

1. यह कि उक्त दावा वादीगण द्वारा 88, 89 व 188 आरटीए के तहत आराजी खसरा नंबर 1612, 1908, 1909, 1910 किता 4 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम करीली तहसील नदबई की बाबत् असल अप्रार्थीगण के विरूद्ध वयनामा दिनांक 29.10.1983 को वातिल व बेअसर घोषित कराने एवं खातेदारी प्राप्त करने का तहरीरी तारीखी 16.10.2020 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है।
2. यह कि विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 1612, 1908, 1909, 1910 को साबिक आराजी खसरा नंबर 1421, 1912, 1911 से बंदोबस्त विभाग द्वारा बनाया गया है मिलान क्षेत्रफल प्रार्थना पत्र में अंकित है।
3. यह कि दिनांक 10.11.1982 को डोरी, किरोडी पुत्र चिरंजी, सुगडसिंह, शिब्बो, अतरसिंह, ज्ञानसिंह पुत्र खुन्नी के द्वारा एक विक्रय इकरार पत्र आराजी खसरा नंबर 1911, 1912 की बाबत् रामगोपाल व रामदयाल के हक में किया गया था उसके बाद दिनांक 29.10.1983 को किरोडी, डोरी पुत्रगण चिरंजी एवं परभाती बेवा खुन्नी, सुगडसिंह, शिब्बो, अतरसिह, ज्ञानसिंह पुत्र खुन्नी द्वारा आराजी खसरा नंबर 1421, 1911, 1912 का विक्रय पत्र रामअवतार पुत्र रामगोपाल एवं सुभाष पुत्र रामदयाल द्वारा प्रतिफल राशि लेकर उपपंजीयक नदबई के यहां पंजीकरण करा दिया एवं मौके पर कब्जा भी संभाल दिया। कब्जे का उल्लेख विक्रय पत्र में भी किया गया है। और वारोज से प्रतिवादीगण असल द्वारा मुताविक विक्रय पत्र विवादित आराजी का कब्जा भी संभाल दिया जो आज तक वदस्तूर है।
4. यह कि विक्रय के आधार पर विवादित आराजी का नामान्तकरण नहीं हो पाया अन्ततः यह सही कि नामा. हेतु कार्यवाही शुरू नहीं की गई किरोडी की शादी नहीं हुई और कोई औलाद व पत्नी भी नहीं थी इसलिए उसके द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी समस्त हिस्से की आराजी जिसमें विक्रयशुदा आराजी भी सम्मिलित थी का एक विक्रय पत्र दिनांक 20.07.1998 को हरवीर, थानसिंह पुत्र डोरी, समन्दर पुत्र सुग[illegible] [illegible] पुत्र खुन्नी के हक में तस्दीक करा दिया जबकि आ0ख0न0 1421, [illegible] किरोडी द्वारा पूर्व में ही दिनांक 29.10.83 को वि[illegible] सेल डीड का कोई कानूनी महत्व न[illegible] दिनांक 20.07.1998 के आधार पर नामा0 संख्या [illegible] इन्द्राज हो गए एवं उसी वक्त असल अप्रार्थीगण के पक्ष में हुए वि[illegible] पत्र दिनांक 29.10.1983

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:56:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

का भी नामा0 संख्या 914 से इन्द्राज हो गए किरोडी के हिस्से वाली आराजी का दाखिला खारिज तस्दीक नहीं हुआ था।

5. यह कि जब नामा0 सं0 914 से इन्द्राज असल अप्रार्थीगण के हक में इन्द्राज जो किए गए तो उसी वक्त डोरी व किरोडी, सुगड, शिब्बो, अतरसिह, राजसिंह द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई जबकि अतरसिंह पुत्र खुन्नी के हस्ताक्षर विक्रय पत्र पर हैं एवं डोरी व सुगडसिंह के भी हस्ताक्षर विक्रय पत्र पर हैं। यही नहीं प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत मौजूदा दावा रामअवतार वगै0 बनाम समन्दर वगै0 दावा इस्तकरार हक एवं हुक्म इम्तनाई दवामी अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 आरटीए में शिब्बो पुत्र खुन्नी द्वारा इकबाल दावा प्रस्तुत कर इकरारनामा दिनांक 10.11.1982 एवं विक्रय पत्र दिनांक 29.10.1983 को दिया जाना स्वीकार किया है जो कि विक्रय पत्र दिनांक 29.10.1983 किरोडी सहित डोरी व खुन्नी के वारिसान द्वारा रामअवतार व सुभाष के हक में पंजीबद्ध करा दिया लेकिन उसके बाद किरोडी द्वारा किरोडी के कोई संतान न होने के कारण अपने समस्त हिस्से की आराजी जिसमें ख0नं0 कुल 16 दर्ज किए गए थे। जिसमें किरोडी द्वारा तीन खसरा नंबर दिनांक 29.10.83 को विक्रय कर दिए गए तो किरोडी द्वारा उक्त खसरा नंबरान की बाबत् दिनांक 20.07.98 को किया गया विक्रय पत्र पश्चातवर्ती विक्रय पत्र की श्रेणी में आता है तो उससे दिनांक 27.07.98 में किरोडी द्वारा किए गए विक्रय पत्र से किए गए व्यक्तियों को कोई हक व हकूक नहीं मिलते हैं। दिनांक 27.07.98 के विक्रय पत्र को नल एण्ड बोईड घोषित करने एवं पूर्व विक्रय पत्र दिनांक 29.10.83 के आधार पर किरोडी के हिस्से की आराजी के बाबत् घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है।

6. यह कि वादीगण द्वारा उक्त दावा प्रतिवादीगण असल के पक्ष में हुए बयनामा दिनांक 29.10.83 को वातिल व बेअसर घोषित कराने का प्रस्तुत किया गया है। जिसको सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को हासिल है क्योंकि वॉइडेवल वयनामा को निरस्त व कैंसिल करने व वातिल व बेअसर करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। राजस्व न्यायालय को तो केवल कोई विक्रय पत्र शून्य है और विक्रेता को कोई अधिकार विक्रय करने का नहीं होता है, राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार हांसिल है।

7. यह कि प्रतिवादीगण असल के पक्ष में विक्रय दिनांक 29.10.83 को विक्रेताओं द्वारा उपस्थित होकर विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराया गया है जिसमें प्रतिफल राशि लेकर कब्जा देने का उल्लेख किया गया है जो कि एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है। विक्रेता शिब्बो द्वारा असल प्रतिवादीगण के दावे में इकबाल दावा देकर विक्रय पत्र दिनांक 29.10.83 को किया जाना स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में उक्त दावा बेसलेस होने से काबिल खारिजी के है।

8. यह कि दिनांक 29.10.83 के विक्रय पत्र के आधार पर असल प्रतिवादीगण के पक्ष में नामा0 भी तस्दीक हुआ है उक्त नामा0 के विरूद्ध भी कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही किसी सिविल न्यायालय में विक्रय पत्र को चैलेंज यिका गया है। विक्रय पत्र को करीबन 37 साल हो चुके हैं।

9. यह कि एक दावा समन्दर, अतरसिह, थानसिंह, भगवती व शिब्बो द्वारा अतर्गत धारा 188 आरटीए विवादित आराजी के बाबत [illegible] 28.11.19 को प्रस्तुत किया गया उक्त दावे में वादीगण के शीर्षक [illegible] शिब्बो पुत्र खुन्नी अंकित किया गया है लेकिन दावे में किसी भी पृष्ठ पर शिब्बो के हस्ताक्षर नहीं है। दावे में यह अंकित किया गया [illegible] के आधार पर काश्त करते चले आ रहे है जिससे यह साबित होता है कि सुभाष व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:56:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

रामअवतार का विवादित आराजी पर कब्जा है। जबकि उक्त प्रकरण में तहसीलदार नदबई द्वारा मौका रिपोर्ट के पुख्ता मकान, 1909, 1910 में फसल सरसों की खडी होना बताया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण अंसल स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जाए।

अप्रार्थीगण / वादीगण द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 जा0दी0 पेश किया गया जो संक्षिप्त में इस प्रकार है–

1. यह कि प्रार्थना पत्र में अंकित दिनांक 10.11.1982 को डोरी, किरोडी पिता चिरंजी, सुगडसिंह, शिब्बो, अतरसिंह, ज्ञानसिंह पिता खुन्नी के द्वारा कोई भी विक्रय इकरार पत्र आराजी ख0नं0 1911, 1912 के बावत रामगोपाल व रामदयाल के हक में नहीं किया गया। न ही दिनांक 29.10.83 को 1421, 1911, 1912 कोई भी वयनामा कराया गया और न ही प्रतिफल राशि प्राप्त की। प्रतिवादीगणों रामअवतार व सुभाष का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा उक्त तथ्य झूंठे अंकित किए गए हैं।
2. यह कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में कोई वयनामा उक्त दिनांक को नहीं कराया गया। सन् 1983 से 1990 तक प्रतिवादी संख्या 1 का भाई भगवानसिंह व भाभी ग्राम पंचायत करीली के सरपंच रहे अगर वयनामा कराया गया होता तो इस बीच प्रतिवादीगण नामान्तरकरण करा लेते। किरोडी के कोई संतान नहीं होना स्वीकार है। दिनांक 23.10.83 को कोई वयनामा खसरान नंबर 1421, 1912, 1911 या अन्य किसी नंबर का नहीं कराया गया जब दिनांक 29.10.83 को कोई वयनामा नहीं कराया गया ऐसी स्थिति में दिनांक 27.7.98 का वयनामा ही प्रथम वयनामा है। विक्रय पत्र दिनांक 27.7.98 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 739 किरोडी के बजाय खरीददारान के पक्ष में किया जाकर अमल दरामद खातेदारी की गई। वयनामा दिनांक 29.10.83 वातिल व बेअसर है। दिनांक 27.07.98 के वयनामा को प्रार्थीगण प्रतिवादीगण नल एण्ड वोइड घोषित करा पाने के अधिकारी नहीं है। नामा0 संख्या 914 प्रतिवादीगण ने चुपचुप तरीके से राजस्व अभियान करीली में कराया गया था जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं हुई। उक्त तथ्य की जानकारी वादीगण को सन 2020 में हुई थी। इस पर वादीगण ने तथाकथित वयनामा दिनांक 29.10.1983 को वातिल बेअसर कराने हेतु दावा उनवानी अतरसिंह वगै0 बनाम सुभाष वगै0 अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत अदालत में प्रतिवादीगण 1 से 2 के विरूद्ध बिना देरी के प्रस्तुत कर दिया। अगर वयनामा दिनांक 29.10.83 को वयनामा कराया गया होता तो उन्होंने 2000 तक नामा0 क्यों नहीं कराया गया। इंतकाल संख्या 914 दिनांक 23.10.2001 में प्रतिवादीगण द्वारा कराया गया था जबकि प्रतिवादीगण के भाई व भाभी सन् 1983 से सन् 1998 तक ग्राम पंचायत करीली के सरपंच रहे थे। दिनांक 10.11.1982 को कोई भी इकरारनामा डोरी किरोडी वगै0 द्वारा रामगोपाल व रामदयाल के पक्ष में नहीं किया। किरोडी द्वारा दिनांक 27.7.1998 को इन्दीरसिंह, थानसिंह, समन्दरसिंह, शिब्बो, अतरसिंह के पक्ष में अपने हिस्से की आराजी का प्रतिफल लेकर वयनामा किया जाना स्वीकार है। जिसका इंतकाल संख्याा 939 दिनांक 9.9.1998 खोला जाकर व तस्दीक किया जाकर अमल दरामद खातेदारी की गई। किरोडी ने केवल इन्दीरसिंह वगै. के पक्ष में ही वयनामा कराया था। यह वयनामा पश्चातवर्ती वयनामा न होकर प्रथम वयनामा है। उक्त विक्रय की जानकारी प्रार्थीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को वयनामा के निष्पादन से पूर्व से ही थी तथा इंतकाल संख्या 914 प्रार्थीगण प्रतिवादीगण ने ग्राम करीली में तथाकथित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:56:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

वयनामा 29.10.83 के आधार पर गुपचुप व गलत तरीके से विवादित आराजी के 2/3 हिस्से पर कराया था तथा 1/3 हिस्सा वादीगण व शिब्बो खातेदार दर्ज था तथा उक्त तथ्य की जानकारी प्रार्थीगण प्रतिवादीगणों को हो चुकी थी तथा वयनामा रजि0 दिनांक 27.7.98 की भी उन्हें पूर्ण जानकारी हो गई थी। इसके बावजूद तथाकथित वयनामा दिनांक 29.10.83 नल एण्ड वोईड होने से उन्होंने दिनांक 27.7.98 के वयनामा रजिस्टर्ड वाहक वादीगण व अन्य बावत् कोई कार्यवाही नहीं की । कोई दावा नहीं किया गया इससे भलीभांति साबित है कि तथाकथित वयनामा दिनांक 29.10.83 वातिल व बेअसर है।

3. यह कि वयनामा दिनांक 29.10.83 का बताया गया है तथा नामा0 दिनांक 23.10.2001 को कराया गया है जबकि प्रार्थीगण प्रतिवादीगण पढ़े लिखे व्यक्ति है व राजनैतिक परिवार से हैं तथा उनकी तीन पीढी सरपंच रहे हैं। शून्य व बेअसर वयनामा होने से उन्होंने 18 वर्ष तक नामा0 नहीं खुलवाया तथा उक्त नामा0 की जानकारी अप्रार्थीगण वादीगण को सन 2020 में हुई है। दिनांक 27.7.98 के वयनामा जिसका नामा0 संख्या 739 दिनांक 9.9.1998 को खोला जाकर तस्दीक किया गया व अमल दरामद खातेदारी वाहक अप्रार्थीगण वादीगण की गई थी, वयनामा को करीब 23 वर्ष हो चुके हैं तथा अमल दरामद खातेदार को भी इतना ही समय हो चुका है। जबकि प्रार्थीगण प्रतिवादीगण को दाखिला खारिज की जानकारी 23.10.2001 को ही पूर्णतः हो चुकी थी अप्रार्थीगण वादीगण ने दिनांक 29.10.1983 को प्रार्थीगण प्रतिवादीगण के पक्ष में कोई वयनामा नहीं कराया तथा डोरी किरोडी वगै0 ने भी विवादित आराजी कोई वयनामा प्रार्थीगण प्रतिवादीगण के पक्ष में नहीं कराया। अतः जबाव प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण प्रतिवादीगण वादीगण के दावा को कानूनन खारिज करा पाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा.दी. मैनटेबिल नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत 7 नियम 11 व 151 जा0दी0 के तहत सुनी गई तथा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया तो पाया कि वादी अतरसिंह वगै0 वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत पेश किया गया जिसमें वादी संख्या 1 लगा0 4 एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 की पुश्तैनी आराजी बतलाकर खातेदारी घोषणा चाही गई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम 2/3 हिस्से के खातेदारी कलमजन किए जाने एवं वयनामा दिनांक 29.10.83 को वातिल व बेअसर बताया गया है। वादपत्र में दर्ज विवादित आराजी खसरा नंबर 1612, 1908, 1909, 1910 वाके ग्राम करीली में स्थित है जिसके साबिक खसरा नंबर 1421, 1912 और 1911 है। दिनांक 10.11.1982 को डोरी, किरोडी पुत्रान चिरंजी, सुगडसिंह, शिब्बो, अतरसिंह, ज्ञानसिंह पुत्रान खुन्नी के द्वारा एक विक्रय इकरार पत्र आराजी खसरा नंबर 1911 व 1912 को रामगोपाल व रामदयाल के हक में किया गया है। उसके उपरान्त दिनांक [illegible] को किरोडी, डोरी पुत्रान चिरंजी एवं परभाती बेवा खुन्नी, सुगडसिंह, शिब्बो, अतर[illegible], रामसिंह पुत्रान खुन्नी द्वारा आराजी खसरा नंबर 1421, 1911, 1912 का विक्रयपत्र रामअवतार पुत्र रामगोपाल एवं सुभाष पुत्र रामदयाल [illegible] उप पंजीयक नदबई के यहां तहरीर करा दिया। उक्त वयनामा पत्रावली में [illegible] संलग्न से साबित होता है। उक्त विक्रयपत्र का नामान्तरकरण नहीं हो सका। किरोडी द्वारा अपने जीवनकाल में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:56:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

अपनी समस्त हिस्से की आराजी जिसमें विक्रयशुदा आराजी भी सम्मिलित थी जिसका एक और विक्रयपत्र दिनांक 27.07.1998 को हरवीर, थानसिंह पुत्र डोरी, समन्दर पुत्र सुगडसिंह, शिब्बो व अतरसिंह पुत्र खुन्नी के हक में तस्दीक करा दिया इस प्रकार आराजी खसरा नंबर 1421, 1912, 1911 किरोडी द्वारा पूर्व में ही दिनांक 29.10.83 को विक्रय किया जा चुका था लेकिन सब्सीक्यूट सेलडीड का कोई कानूनी महत्त्व नहीं रहा था परन्तु विक्रय पत्र दिनांक 27.07.1998 के आधार पर नामा. संख्या 739 से किरोडी के हिस्से पर खातेदारी इन्द्राजात हो गई जो कि पत्रावली में मौजूद नकल नामा0 संख्या 739 से साबित है। तथा असल प्रतिवादीगण के पक्ष में हुए विक्रय पत्र दिनांक 19.10.83 का भी इन्द्राजात इंतकाल संख्या 914 से हो गए परन्तु किरोडी के हिस्से की आराजी का दाखिला खारिज नही हुआ जो नकल नामान्तरकरण से साबित है। जब नामा0 संख्या 914 के इन्द्राजात असल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में हो गए थे उस समय डोरी व किरोडी वगै0 द्वारा किसी प्रकार की कोई उजदारी नहीं की गई जबकि अतरसिंह पुत्र खुन्नी के हस्ताक्षर भी विक्रय पत्र पर है। एवं डोरी व सुगडसिंह के भी विक्रयपत्र पर हस्ताक्षर हैं तथा प्रतिवादीगण द्वारा दावा रामअवतार बनाम समन्दर वगै0 में भी शिब्बो पुत्र खुन्नी द्वारा इकबाल दावा पेश किया गया तथा इकरारनामा दिनांक 10.11.82 एवं विक्रयपत्र दिनांक 29.10.83 को दिया जाना स्वीकार किया गया जो विक्रयपत्र 29.10.83 किरोडी सहित डोरी व खुन्नी के वारिसान द्वारा रामअवतार व सुभाष के हक में पंजीबद्ध करा दिया उसके उपरान्त किरोडी द्वारा अपने समस्त हिस्से की आराजी जिसमें कुल खसरा नंबर 16 दर्ज किए गए थे जिसमें किरोडी द्वारा तीन खसरा नंबरान का दिनांक 29.10.83 को विक्रय किए गए तो किरोडी द्वारा खसरा नंबरान की दिनांक 27.7.98 को किया गया विक्रयपत्र पश्चवर्ती विक्रयपत्र की श्रेणी में आता है। दिनांक 27.07.98 में किरोडी द्वारा किए गए विक्रयपत्र से किए गए व्यक्तियों को कोई हक प्राप्त नहीं होते हैं इसके अलावा वादी द्वारा वादपत्र असल प्रतिवादीगण के पक्ष में हुए वयनामा दिनांक 29.10.83 को बातिल व बेअसर करने का वादपत्र पेश किया गया है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है न कि राजस्व न्यायालय को है। तथा वाईडेबल वयनामा को निरस्त व कैंसल करने का तथा बातिल व बेअसर करने का अधिकार भी सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को कोई विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने का अधिकार है और विक्रेता को कोई अधिकार विक्रय करने का नहीं होता है तो राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार हासिल हैं। उक्त वादपत्र वादी का आधारहीन साबित होता है तथा विक्रयपत्र दिनांक 29.10.83 के आधार पर असल प्रतिवादीगण के पक्ष में किये गये जिसका नामा0 के विरूद्ध भी कोई अपील भी पेश नहीं की गई न ही वयनामाओं को सिविल कोर्ट में चैलेंज किया है तथा समन्दर वगै0 द्वारा दावा 188 आरटीए का विवादित आराजीयात बाबत् पेश किया गया है जो शिब्बो पुत्र खुन्नी अंकित किया गया जिस पर शिब्बो के हस्ताक्षर भी नहीं थे इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से साबित है। इस संबंध में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा विभिन्न नजीरें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अजमेर मु0 भूरीबाई बनाम शम्भूलाल वगै0 आरआरटी 2021 पेज 1120 से 1133 में भी पश्चवर्ती विक्रय अभिलेख के आधार पर संपत्ति में अधिकार व स्वत्व नहीं है। उद्धहरण डीएनजे 2021 610 मनीराम बनाम मामकोरी वगै0, डीएनजे 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 644 आरके रोजा [illegible] रटी 2023 (2) राजस्थान उच्च न्यायालय पेज 922 मैनाबाई बना[illegible], डीएनजे राजस्थान उच्च न्यायालय 2017 (1) अनन्तप[illegible] सिंह राजपूत [illegible] सुमेर सिह राजपूत वगै0 पेश की गई जो उक्त नजीरें [illegible] इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 7 [illegible] दी0 काबिल स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:56:42 IST
Reason: SelfAttested

143

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 व 151 जा. दी. के तहत् स्वीकार किया जाकर वादीगण का दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/07/24 को सुनाया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:56:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner